an>

Title: Need to take strict action against sand mining mafias in Bihar.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : माननीय अध्यक्ष जी, जल ही जीवन है और प्रकृति जिंदगी है। रोज ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण पर चर्चा होती है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान खनन और बालू माफिया की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। ऋषिकेश, देहरादून में बहुत बड़े-बड़ें संतों की इस मुद्दे पर मौत हो चुकी है। देहरादून में दो-तीन संतों ने भूख हड़ताल की थी और पर्यावरण और कटाव के सवाल पर एक संत की मौत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश आए हैं, आप जानते हैं कि हाई कोर्ट के भी कई आदेश आए हैं। इतना ही नहीं 5 अगस्त 2013 को राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्युनल ने आदेश जारी किया था और 5 से 50 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन के लिए स्टेट एन्वयार्नमेंट से अनुमति ली गई लेकिन 50 हेक्टेयर से ज्यादा खनन कार्य होता है। अनुमति लेने और लागू करने की जिम्मेदारी आदि कानून लागू किए गए थे। बिहार में सोन, कोसी नदी से लेकर गंडक आदि कई नदियां हैं, यहां लगातार व्यवस्था की मिलीभगत, सरकार और माफियाओं की मिलीभगत से लगातार बालू का अत्यधिक खनन हो रहा है।इस वजह से नदियों के जल का स्तर कम होता जा रहा है। पानी और प्रकृति गरीबों और किसानों के लिए कितने आवश्यक हैं, यह आप समझ सकते हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बांका और भागलपुर के इलाके में, बांका, अमरपुर, पंजुआरा, बेलहर, चांदन, कटौरिया, रजौन, दोरहिया, शंभुगंज और छपरा से लेकर सोन नदी की तरफ आप ध्यान दें। माफियाओं और कई अर्थशास्त्रियों ने पर्यावरण के बारे में लिखा है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि खनन माफिया और सरकार की मिलीभगत से बालू खनन का काम चल रहा है, उस पर केंद्र सरकार अंकुश लगाए। पूरे भारत में पर्यावरण को नुकसान पहुंचने से रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए और गरीबों के जल और जीवन के लिए प्रकृति को बचाने के लिए सरकार इस तरफ ध्यान दे। बालू माफियाओं और खनन माफियाओं से देश को बचाने के लिए कोई कारगर क़दम उठाए और कोई ऐसा कठोर कानून लाए जिससे बालू खनन माफिया इस देश में काम न कर सकें। बिहार बालू माफियाओं से अत्यधिक प्रभावित है। बिहार के बालू खनन माफियाओं को रोकने की जरूरत है। वे पदाधिकारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध ट्रकों के माध्यम से खनन का अवैध काम करते हैं। इससे वहां का पर्यावरण प्रभावित हो रहा है।